क्र0 1229 / का0वि0 / 2021
01.09.2021

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या 1303 / आठ–1–21–1858 / 2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2021

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1877 / आठ–1–20 दिनांक 18.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की 13 प्रारूपों पर समीक्षा कर सूचना शासन को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

2– मण्डलायुक्त गण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

(1) संलग्न–1 में उल्लिखित प्राधिकरणों की विगत 03 वर्षों की औसत आय एवं व्यय ऋणात्मक है। इन प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु कार्ययोजना बनायी जाये।
(2) संलग्न–2 में अनुसार 13 अभिकरणों में नियोजन हेतु लैंड बैंक की उपलब्धता शून्य है। इन प्राधिकरणों में प्राथमिकता पर लैंड बैंक विकसित किया जाए।
(3) जिन 59 महायोजनाओं को तैयार किया जा रहा है, उनकी गहन समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनओं तथा जमीनी स्थिति में एकरूपता हो।
(4) OBPAS की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे नक्शों के पास होने में विलम्ब न हो।
(5) जिन विषयों यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ अन्य विभागों से सहयोग की आवश्यकता है, का विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाये तकि उच्च स्तर पर बैठक कराकर शीघ्र निर्णय कराया जा सके।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

Sri P. Sharma
01/09/2021

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Desktop/Gupta Sir/G Sir GO 2021

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
(2) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
(4) निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की सभी मण्डलों से सूचना एकत्र कर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

सलग्नक–1

ऐसे अभिकरण जिनकी विगत 03 वर्षों की औसत आय एवं व्यय ऋणात्मक है:–

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
(2) रायबरेली विकास प्राधिकरण।
(3) अलीगढ़ विकास प्राधिकरण।
(4) बरेली विकास प्राधिकरण।
(5) मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण।
(6) गोरखपुर विकास प्राधिकरण।
(7) रामपुर विकास प्राधिकरण।
(8) आगरा विकास प्राधिकरण।
(9) चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
(10) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
(11) सहारनपुर विकास प्राधिकरण।
(12) प्रयागराज विकास प्राधिकरण।

संलग्नक–2

ऐसे अभिकरण जिनमें नियोजन हेतु लैण्ड बैंक की उपलब्धता शून्य है।

(1) बागपत–बड़ौत–खेखड़ा विकास प्राधिकरण।
(2) बस्ती विकास प्राधिकरण।
(3) बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण।
(4) फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण।
(5) झांसी विकास प्राधिकरण।
(6) मीरजापुर विकास प्राधिकरण।
(7) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
(8) रायबरेली विकास प्राधिकरण।
(9) रामपुर विकास प्राधिकरण।
(10) सहारनपुर विकास प्राधिकरण।
(11) वाराणसी विकास प्राधिकरण।
(12) चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
(13) कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।